

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
LAND & BUILDING DEPARTMENT, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

No.F.8(2)10/L&B/LA/



9264

NOTIFICATION

Dated: 09/9/2013

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (East), Delhi to take possession of land the specification of which is given in this notification u/s 4 No.F.8(2)/10/L&B/LA/9501 dated 10/09/2012 and u/s 6 No.F.8(2)/10/L&B/LA/9263 dated 9/9/13 on expiration of 15 days from publication of the notice under sub-section (1) of section 9 of the said Act.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR OF DELHI.


(Vinay Kumar)
Addl. Secretary (L&B)


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
भूमि एवं भवन विभाग
विकास भवन, नई दिल्ली

सं.एफ.8(2)/2010/भू.व.भ./भू.अ./ 9264

दिनांक: 09/09/2013

अधिसूचना

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (पूर्व) दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण आधिसूचना संख्या एफ.8(2)/2010/भू.व.भ./भू.अ./9501 दिनांक 10.09.2012 धारा 4 एवं एफ.8(2)/2010/भू.व.भ./भू.अ./दिनांक 09.09.2013 धारा 6 में दिया हुआ है।

9263

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम पर

विनय कुमार
विनय कुमार

अतिरिक्त सचिव (भू.व.भ.)